भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2045

उत्तर देने की तारीख : 14.03.2022

पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु नई शिक्षा नीति

†2045. श्री इंद्रा हांग सुब्बा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में एनईपी-2020 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ख): शिक्षा संबंधी पिछली नीतियों के कार्यान्वयन ने मुख्य रूप से पहुंच और समता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। 1992 में संशोधित (एनपीई 1986/92), शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति 1986 का अपूर्ण एजेंडा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में समुचित रुप से निष्पादित किया गया है। एनईपी, 2020 इस बात को स्वीकार करती है कि नई शिक्षा नीति में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिये जाने के साथ सभी छात्रों को उनके निवास स्थान पर विचार किए बिना, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें शिक्षा सभी को समान अवसर प्रदान करने वाली है और आर्थिक व सामाजिक गतिशीलता, समावेश और समानता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। यह सुनिश्चित करने के लिए पहल होनी चाहिए कि ऐसे समूहों के सभी छात्रों को, अंतर्निहित बाधाओं के बावजूद, शैक्षिक प्रणाली में प्रवेश करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विभिन्न लक्षित अवसर प्रदान किए जाएं।

(ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें विभिन्न निकायों जिसमें शिक्षा मंत्रालय, संघ और राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्री, राज्य के शिक्षा विभाग, स्कूल और उच्च शिक्षा के नियामक निकाय शामिल हैं, द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से करना होता है। नीति में

इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली का प्रावधान किया जाता है। तदनुसार, मंत्रालय ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाने के लिए अपनी सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, नियामक निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, अन्य हितधारक मंत्रालयों/विभागों आदि को पत्र लिखा है।

इस दिशा में, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में कई पहलें की गई हैं।

मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ एनईपी, 2020 के तहत विद्या-प्रवेश - स्कूल तैयारी मॉड्यूल; माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा; माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा 2:0 (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल); सफल (अधिगम स्तर का विश्लेषण करने के लिए संरचित मूल्यांकन); जन जागरूकता के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) संबंधी ऑनलाइन मॉड्यूल; एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना; उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश/निकास पर दिशानिर्देश; क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम; उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश आदि जैसी कई पहलें शुरु की हैं।

भाषा की बाध्यताओं के कारण सीमित पहुंच के मुद्दे का समाधान करने के लिए, जेईई (मेन्स) और एनईईटी (यूजी) 13 भाषाओं में आयोजित की गयी, एमओओसी पर प्रथम वर्ष का डिग्री प्रोग्राम 13 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। पाठ्यक्रमों में विविधता और एकाधिक प्रवेश/निकास को बढ़ावा देने के लिए, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है और एकाधिक प्रवेश/निकास पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पहुंच के मुद्दे के समाधान हेतु और अधिक एचईआई को ऑनलाइन/ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने में सक्षम बनाने के लिए विनियमों में संशोधन किया गया है और डिग्री प्रोग्राम में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने संबंधी घटक को 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सुविकसित एड-टेक समाधान प्रदान करने हेतु एनईएटी की पहल शुरू की गई है।

****